Volume: 5 Issue: 2 Pages: 96-98

रोजगार के सृजन में भारत सरकार की मुद्रा योजना का योगदान (मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में)

[*1]दिनेश कुमार दुबे

[*1]सहायक प्राध्ययापक, वाणिज्य विभाग, स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश, भारत।

Article Info.
E-ISSN: 2583-6528
Impact Factor (QJIF): 8.4
Peer Reviewed Journal
Available online:
www.alladvancejournal.com

Received: 17/Dec/2025
Accepted: 10/Feb/2026

***Corresponding Author**
दिनेश कुमार दुबे
सहायक प्राध्ययापक, वाणिज्य विभाग, स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश
भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरूआत 8 अप्रैल 2015 को की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म और छोटे उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि, छोट/सूक्ष्म उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वे अपने व्यवसाय शुरू कर सकें या उसमें विस्तार कर सकें। योजना के अंतर्गत ऋण वितरण राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, माइक्रो फाइनेंस इंडस्टीट्यूट (MFIs) के माध्यम से किया जाता है। मुद्रा योजना के तहत तीन श्रेणियों में विभिन्न दरों पर ऋण प्रदान किया जाता है, जिसमें शिशु, किशोर व तरूण प्रमुख हैं। PMMY ने देश के युवाओं के लिए क्रेडिट तक औपचारिक और सब्सिडी वाली पहुंच के रास्ते खोले हैं। इसका उद्देश्य पिरामिड के निचले तबके को पूरा करना और युवा कुशल श्रमिकों को पहली पीढ़ी के उद्यमी बनाने में सहायता करने के साथ ही मौजूदा छोटे व्यवसायों के विस्तार को और भी अधिक सुविधाजनक बनाना है, ताकि रोजगार के विभिन्न अवसरों को सृजित किया जा सके। PMKVY के अंतर्गत जो प्रशिक्षित उम्मीदवार अपना खुद का उद्यम खोलना चाहते हैं, लेकिन क्रेडिट तक औपचारिक सब्सिडी वाली पहुंच न होने के कारण, कई उम्मीदवार प्रशिक्षण पूरा होने के बाद भी अपना व्यवसाय स्थापित करने में असमर्थ हैं ऐसे उम्मीदवारों को मुद्रा योजना उनकी मदद करती है, जिन्हें अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्त की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द: वित्तीय सहायता, युवा कौशल को रोजगार, आर्थिक सहायता आदि।

प्रस्तावना:

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) की प्रमुख योजना है, जिसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा लागू किया गया है। इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को इंडस्ट्री से संबंधित स्किल ट्रेनिंग देना है, जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करती है।

विगत 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंतर्गत ऋण को वितरित करने के लिए कुल 21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 36 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 18 निजी क्षेत्र के बैंक, 35 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (NBFCs), 25 सूक्ष्म वित्त संस्थान (MFI), 47 (NBFCs - MFIs), 15 सहकारी बैंक और 6 लघु वित्त बैंकों का चयन किया गया है। इस योजना के तहत 60 प्रतिशत ऋण 'शिशु' विकल्प के माध्यम से दिए जाते हैं और शेष 40 प्रतिशत ऋण 'किशोर' और 'तरूण' योजना के माध्यम से दिए जाने का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण बिना गारंटी या जमानत के प्रदान किए जाते हैं।

तालिका 1

क्रं.	श्रेणी	ऋण राशि (रू. में)	ब्याज दर
1.	शिशु	50,000 तक	11% से 12% तक
2.	किशोर	50,000 से 5,00,000 तक	14% से 17% तक
3.	तरूण	5,00,000 से 10,00,000 तक	16% से प्रारम्भ

स्रोत: www.mudra.org.in

ऋण हेतु बैंकों से संपर्क करने के अतिरिक्त पोर्टल www.udyamimitra.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन भी किया जा सकता है।

वर्ष 2022-23 से 2023-24 में भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण के वितरण में शीर्ष 10 प्रदेशों की स्थिति को निम्न तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है।

तालिका 2

S. No	State Name	Disbursement Amt. Cr. (2023-24)	Disbursement Amt. Cr. (2022-23)
1	Uttar Pradesh	58535.05	47427.26
2	Tamil Nadu	57370.41	43730.39
3	Bihar	56841.09	45448.59
4	Karnataka	49510.51	40746.09
5	West Bengal	46712.27	38353.85
6	Maharashtra	42773.74	36104.52
7	Rajasthan	26755.28	24492.62
8	Madhya Pradesh	25272.18	24632.59
9	Odisha	23355.99	21505.13
10	Gujarat	19640.31	17507.49

स्रोत: वार्षिक प्रतिवेदन सूक्ष्म एवं वृहद उद्योग विकास विभाग, भोपाल ।

उपर्युक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंतर्गत देश में वितरित किए जाने वाले ऋणों में वर्ष 2022-23 की स्थति में मध्यप्रदेश सातवें स्थान पर रहा किन्तु वर्ष 2023-24 में प्रदेश की स्थिति आठवें स्थान पर पहुंच गयी। यद्यपि उक्त योजना अंतर्गत ऋण वितरण में कोई कमी नहीं हुई है लेकिन अन्य राज्यों द्वारा अच्छा प्रदर्शन करने से मध्यप्रदेश एक स्थान नीचे चला गया। वर्ष 2022-23 में जहां PMMY में ऋण वितरिण 24632.59 करोड़ रू. था वह वर्ष 2023-24 में बढ़कर 25272.18 करोड़ रू. हो गया।

योजना के क्रियान्वयन एवं विकास की स्थिति वर्ष 2015 से 2023 तक-

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार सरकार ने 2015 से 2023 तक बीते आठ वर्षों में 41 करोड़ से ज्यादा लोगों को 23,00,000 करोड़ रू. की राशि मुद्रा योजना के अंतर्गत वितरित है। इस ऋण में सर्वाधिक 33.54 करोड़ ऋण शिशु श्रेणी के हैं। वहीं किशोर श्रेणी के तहत 5.89 करोड़ और तरूण श्रेणी के तहत 81 लाख लोगों को ऋण दिया गया है। योजना के अंतर्गत वितरित कुल ऋणों में से 70 प्रतिशत से अधिक लाभ महिलाओं को प्राप्त हुआ। म.प्र. में कुल 25272.81 करोड़ रू. वितरित किए गए हैं। इस ऋण के माध्यम से विभिन्न वर्गों के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। कुशल एवं प्रशिक्षित युवाओं ने इस ऋण के माध्यम से जहां सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यागों की स्थापना की है वहीं उद्योगों के संचालन एवं प्रबंधन हेतु रोजगार के अवसर पर भी उत्पन्न किए हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य

i). लघु/सूक्ष्म उद्यमों के वित्त पोषण हेतु नीतिगत दिशा-निर्देश निर्धारित करना।
ii). सभी सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों और संबंधित संस्थाओं को पंजीकृत करना और उनका विनियमन करना।
iii). छोटे व्यवसायों को विकसित करके और आगे बढ़ने में सहायता करना।
iv). निम्न आय वर्ग को अपने व्यवसाय को शुरू करने और विस्तार प्रदान करने में सहायता करना।
v). बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों के लिए वित्त तक आसान पहुंच बनाने में सहायता करना तथा उनकी वित्त की लागत को कम करने में सहायता करना।
vi). SC, ST, OBC एवं महिलाओं हेतु प्राथमिकता सुनिश्चित करना।

प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण विभिन्न प्रयोजनों के लिए दिया जाता है, जो विनिर्माण, खुदरा और कृषि संबद्ध गतिविधियों में आय सृजन और रोजगार सृजन प्रदान करता है। मध्यप्रदेश में मुद्रा ऋण की स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का सहयोग लिया गया जिसमें प्राप्त आंकड़ों को निम्न तालिका के माध्यम से विश्लेषित किया गया है।

तालिका 3: मुद्रा ऋण का लाभ लेने वाले हितग्राहियों की स्थिति

मुद्रा ऋण के संबंध में जानकारी हेतु स्रोत	आवृत्ति	प्रतिशत	संचयी आवृत्ति
समाचार पत्र/पत्रिकाएं	68	23%	23%
टी.व्ही./मोबाईल	76	25%	48%
मित्र/रिश्तेदार	144	48%	96%
अन्य	12	4%	100%
योग -	300	100%	

स्रोत: सर्वेक्षण।

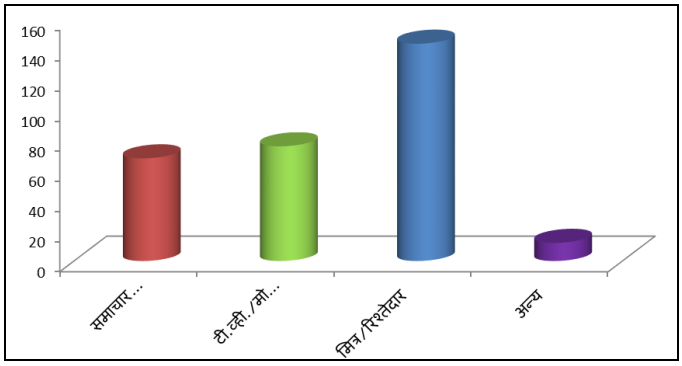

निष्कर्ष:

किसी भी प्रकार के शोध का उद्देश्य मूलतः बहुउद्देशीय व बहुआयामी होता है। वह समाज को दिशा देने का प्रयत्न करता है। भूत एवं वर्तमान में तुलना कर नीर-क्षीर की स्थिति स्पष्ट करता है। भविष्य को सामने रख अतीत का पक्ष प्रस्तुत करता है, वहीं अतीत की तुलना वर्तमान से करके मानव, समाज, संस्थाओं को सोचने हेतु विवश कर देता है। इससे मानव को व्यक्तिगत लाभ, समाज को सार्वजनिक लाभ और संस्थाओं को दिशा विशेष में जाकर कार्य करने का मार्गदर्शन मिलता है।

प्रस्तावित शोध कार्य में प्रदेश में रोजगार सृजन में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के प्रभाव का अध्ययन मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ में किया गया है। PMMY अंतर्गत वितरित किए जाने वाले ऋण से न केवल सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को स्थापित करने में प्रदेश सक्षम हुआ है बल्कि प्रशिक्षित एवं कुशल उद्यमियों को अपने उद्योगों को और विस्तार रूप प्रदान करने में सहयोग प्राप्त हुआ है। इस योजना से युवाओं को अपने चयनित क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है।

संदर्भ सूची:

1. ''भारत 2022 वार्षिक संदर्भ ग्रंथ'', प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।

2. गौरव दत्त, अश्विनी महाजन, दत्त एवं सुंदरम, ''भारतीय अर्थव्यवस्था'', 49वां संस्करण, 2022, एस.चन्द एण्ड कम्पनी लि. रामनगर, नई दिल्ली।
3. प्रो एस. एन. लाल, डॉ. एस. के लाल, भारतीय अर्थव्यवस्था, शिवम् पब्लिकेशन (2017)।
4. लघु एवं ग्रामोद्योग सर्वे समिति, प्रतिवेदन।
5. म.प्र. का आर्थिक सर्वेक्षण, 2021-22।
6. भारत सरकार के MSME मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टस।
7. NSSO रिपोर्ट (2015)
8. वित्त मंत्रालय रिपोर्ट (2015, 2023)
9. www.mudra.org.in